

**कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)**

-:विज्ञप्ति:-

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अनुरेखक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु
दस्तावेजों के सत्यापन बाबत सूचना (पंचम काउंसिलिंग)**

—00—

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अनुरेखक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु समाचार पत्रों के विज्ञापन क्रमांक जी-58945/2 द्वारा जारी विज्ञापन के संबंध में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी परीक्षा परिणाम मेरिट सूची के आधार पर विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अर्हता के अनुसार सत्यापन हेतु निम्न अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 18.08.2023 में किया जाना है। जो निम्नानुसार है :-

क्र	सवर्ग	पद संख्या	रोल नंबर एवं अभ्यर्थी का नाम
1.	अनारक्षित (महिला)	01	25010377-NISHA GUPTA, 25020063-HEMPURNA, 25010227- NEELAM YADAV, 16010405-AYUSHI SAO, 25010871-AARTEE, 16010455-KANCHAN NAG, 25010024-DEEPA BAJRANGI, 25010131-KIRAN SAHU, 25010679-SHWETA SAHU, 16010339-MEENA, 25010117-KHUSHBOO YADAV, 25010114-USHA MINPAL, 25010212-PRANJALI TIWARI, 25010224-LIKESHWARI DEWANGAN, 25010519- FIRDOUS SHIRI, 25010820-PRIYANKA RATHWAR, 25020116-SWETA SAO, 16010243-MANISHA SONI, 16010223-SHILPA, 16010091-LALITA, 16010015-NIDHI SHARMA, 25010925-RUCHI CHATTERJEE, 25010474-MINAKSHI BANJARE, 25020142-NEETU JAISWAL, 25010149-AMBALIKA MAHANAND


स्थान:- मिटिंग हाल-2, तृतीय तल (लॉबी), इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।

समय :- 11:00 बजे सुबह से 4:00 बजे तक।

दूरभाष :- 0771-2221656

- टीप :- (1) निर्धारित तिथि 18.08.2023 के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग हेतु विचार नहीं किया जावेगा।
 (2) जारी विज्ञापन में विहित शैक्षणिक अर्हताधारी "10+2 अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। आई.टी.आई. से ड्राफ्ट्समेन ट्रेड का प्रमाण पत्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राईंग परीक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।" अभ्यर्थी ही उपस्थित होवे। उक्त विहित शैक्षणिक अर्हता से हटकर अन्य अर्हताधारी अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में विचार नहीं किया जावेगा।
 (3) दस्तावेज के सत्यापन हेतु बुलाये गये उक्त सभी अभ्यर्थियों से यह तात्पर्य नहीं है कि, उन सभी की नियुक्ति की जावेगी, अर्थात् नियमानुसार रिक्त पद एवं मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
 (4) दस्तावेज के सत्यापन के दौरान मेरिट के आधार पर चयन हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी पाये जाने पर शेष अभ्यर्थियों के संबंध में विचार नहीं किया जावेगा।
 (5) उपरोक्त नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र/1-3 दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।

उपरोक्त दर्शित रोल नंबर अभ्यर्थियों को सत्यापन हेतु व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, आई.टी.आई. से ड्राफ्ट्समेन का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, दिव्यांगजन प्रमाण पत्रों के मूल दस्तावेज एवं एक सेट प्रमाणित छायाप्रति सहित लाना अनिवार्य है।


प्रभारी अधीक्षण अभियंता (प्रशा.) एवं अध्यक्ष
विभागीय चयन समिति
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर